तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	~~[illegible]~~	

प्रा0पत्र संख्या- 22/20

अन्तर्गत धारा 212 **R.T.Act.**

23.6.20 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. सायल की ओर से उनके वकील श्री बच्चूसिंह परमार एड0 ने पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैर सायलान आगामी ता0पेशी दिनांक 27.07.2020 तक जारी की जाकर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आ0ख0न0 586 रकबा 0–09, 591 रकबा 0–09 बीघा, 584 रकबा 1–13 बिस्वा , 606 रकबा 0–13 बीघा, 612 रकबा 1–05 बिस्वा, 626 रकबा 1–15 बिस्वा , 639 रकबा 1–18, 648 रकबा 2–12 , 607 रकबा 0–12 बिस्वा स्थित बाके ग्राम आदमपुर तह0 बाडी में बिना बटवारा कराये विवादित आराजी को कहीं रहनवय मुन्तकिल नहीं करे। सायल के कब्जेकास्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत मजाखलत बेजा पैदा न करें। निर्माण कार्य नहीं करे। मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। यदि इस आदेश के जारी रखे जाने में गैर सायलान को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27.07.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 27.07.2020 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज0

27.7.20 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उप.। p.o. अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दि. 14.9.20 पेश हो।

7.9.20 पत्रावली मूल दावा के साथ न्यायालय में पेश हुई। चूंकि वादी गण की मूल दावा [illegible] किया जाकर खारिज किया जा चुका है। इसलिए [illegible] पत्र को आगे [illegible] नहीं है। इसलिए [illegible] पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर आर्शिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Radheyshyam Meena
Date: 2021.03.15 17:01:20 IST
Reason: SelfAttested